Partnership-Main (Hindi)

udyogjiregistrationsolutions.com

भागिता विलेख

(Partnership Deed)

यह भागिता विलेख आज दिनांक ..... माह.....सन्.. ..... को **(1) श्री .....,** पुत्र ..... ., निवासी महल्ला–....., डाकघर– ....., थाना–....., जिला–पटना (वारिसान एवं कायम मुकामान पर भी पाबन्द) उक्त भागीदार को आगे ''प्रथम पक्षकार'' कहा गया है, **(2) श्री .....,** पुत्र ...., निवासी महल्ला–....., डाकघर– ....., थाना–....., जिला–पटना (वारिसान एवं कायम मुकामान पर भी पाबन्द) ,जिसे आगे ''द्वितीय पक्षकार'' कहा गया है,

एवं **(3) श्री .....,** पुत्र ....., निवासी महल्ला-....., डाकघर- ....., थाना-....., जिला-पटना (वारिसान एवं कायम मुकामान पर भी पाबन्द), जिसे आगे ''तृतीय पक्ष'' कहा गया है के मध्य निष्पादित किया गया।

चूंकि हम सभी भागीदारों ने संयुक्त रुप से ..... का व्यवसाय करने एवं उसके लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं जिसका नाम व शीर्षक **मेसर्स .....** होगा और लिखित रुप से इसकी शर्ते और बाध्यताओं को निश्चित करना आवश्यक समझते हैः-

अतएव इस भागीदारी विलेख को निम्न शर्तो के अन्तर्गत निष्पादित करते हैः-

(1) यह कि भागीदारी दिनांक .....माह.....सन्..... को..... .....के दिन से आरम्भ हुआ माना जायेगा।

(2) यह कि भागीदारी से यह व्यापार स्थल महल्ला-..... ....., डाकघर- ....., थाना-....., जिला-पटना पर चलाया जाएगा। एवं भागीदारों की आम सहमति से इसमें संशोधन अथवा परिवर्तन किया जा सकेगा।

(3) यह कि समस्त पक्षकार भागीदारों में संयुक्त रुप से बराबर-बराबर हिस्से का व्यापार चलायेंगे।

(4) यह कि यह व्यापार मेसर्स ..... के नाम एवं शीर्षक से चलाया जायेगा और इसमें पक्षकारों की आम सहमति से संशोधन या परिवर्तन किया जा सकेगा।

(5) यह कि फर्म में भागीदारों की पूंजी निम्नवत होगी।

(i) प्रथम पक्षकार :- ..... प्रतिशत

(ii) द्वितीय पक्षकार :- ..... प्रतिशत

(iii) तृतीय पक्षकार :- ..... प्रतिशत

udyogiirregistrationsolutions.com

(iv) यह कि भागीदारों द्वारा लगाई गई पूंजी पर कोई ब्याज देय नहीं रहोगा। अधिक निधि प्राप्त होने की दशा में भागीदारों की सहमति से निर्धारित ब्याज पर भागीदारों को ऋण उपलब्ध कराया जा सकेगा।

(7) यह कि निम्न अनुपात में भागीदार लाभांश अथवा नुकसान के हकदार होंगे।

(i) प्रथम पक्षकार :- ..... प्रतिशत

(ii) द्वितीय पक्षकार :- ..... प्रतिशत

(iii) तृतीय पक्षकार :- ..... प्रतिशत

(8) यह कि फर्म के नाम से बैंक खाता खोला जायेगा जिसका संचालन भागीदारों की आम सहमति से प्रथम पक्ष ... . भागीदार कर सकेंगे। जिसके लेखे-जोखे की जानकारी सभी भागीारों को दी जा सकेगी।

(9) यह कि जहाँ कोई राशि रु. ...../- रुपये से अधिक की अदायगी से सम्बन्धित होगी वहां प्रत्येक भागीदारों की सहमति आवश्यक होगी।

(10) यह कि लेखा की नियमित पुस्तिका तैयार की जायेगी जो फर्म के पंजीकृत कार्यालय में रखी जायेगी। जिसका निरीक्षण भागीदार या उसका प्रतिनिधि समयानुसार कर सकेगा अथवा उसकी सत्यापित छाया प्रति प्राप्त कर सकेगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर एक माह के अन्तराल पर लाभांश का निर्धारण कर उसकी अदायगी सुनिश्चित की जा सकेगी।

(11) यह कि बिना भागीदारों की आम सहमति के कोई भागीार निम्न कार्य नहीं करेगा:-

(क) फर्म की आस्तियों का बंधन नहीं करेगा, न ही उसपर कोई अधिकार कर सकेगा।

(ख)फर्म की आस्तियों पर कोई ऋण नहीं लेगा।

udyogjiregistrationsolutions.com

(ग) फर्म के नाम से कोई अनुबंध नहीं करेगा, न ही उसका कोई विक्रय करेगा।

(12) यह कि प्रत्येक भागीदार अपनी व्यक्तिगत निष्ठा एवं क्षमता से भागीदारी में शामिल हुए हैं।

(13) यह कि भागीदार निम्नवत कार्य करेंगे:-

(क) सामान लाभ हेतु व्यापार चलायेंगे।

(ख) एक दूसरे भागीदार पर वफादार होंगे और भागीदारी से सम्बन्धित सभी आवश्यक जानकारी एक दूसरे को प्रदान करेंगे।

(ग) क्षति की दशा में एक दुसरे को क्षति पूर्ति करेंगे।

(14) यह कि तीन माह की नोटिस पर कोई भी भागीदार फर्म से पृथक हो सकेगा एवं उस तिथि को अर्जित लाभ अथवा हानि का हिस्सेदार होगा।

(15) यह कि भागीदार की मृत्यु पर उसका विधिक प्रतिनिधि उत्तराधिकारी भागीदार बन सकेगा। इस पर किसी पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं होगी।

(16) यह कि भागीदारों की आम सहमति से इसे विघंटित किया जा सकेगा।

(17) यह कि विवाद की दशा में भागीदारों में से कोई एक भागीदार अन्य सब की सहमति में मध्यस्थ नियुक्त किया जाएगा। जिसका निर्णय अन्तिम होगा तथा भागीदारों पर बाध्य होगा।

(18) यह कि इस फर्म पर भारतीय भागीदारी अधिनियिम 1932 के उपबन्ध प्रयोज्य होंगे।

(19) नीचे हस्ताक्षरित साक्षियों के समक्ष सभी भागीदारों ने अपने हस्ताक्षर बनाये।

udyogiiregistrationsolutions.com

(20) यह कि किसी भी पार्टनर द्वारा इस विलेख की शर्तों का उल्लंघन करने पर प्रभावित पार्टनर को सक्षम न्यायालय का शरण लेने का पूर्ण अधिकार प्राप्त रहेगा।

यह कि यह विलेख नीचे अंकित गवाहों के समक्ष लिख दिया गया कि प्रमाण रहे और वक्त पर काम आवें।

<u>गवाहगण</u>:–

1.

प्रथम पक्षकार

द्वितीय पक्षकार

2.

तृतीय पक्षकार

उभय पक्षों के निदेश पर
प्रारुप तैयार किया।

मुद्रित किया:–

(मनोज कुमार)
उद्योगीजी का चैम्बर
समाहरणालय अधिवक्ता संघ,
पटना।

(डा० अनिल कुमार सिन्हा ''उद्योगी'')
अधिवक्ता,
''चैम्बर'', समाहरणालय अधिवक्ता संघ,
पटना।

uddyogiiregistrationsolutions.com